

प्रश्न सं. [क. 223]

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/पंच.राज./एफ-1-पंचायत/2022/२३३३ भोपाल, दिनांक 26/05/2022
प्रति.

1. कलेक्टर,
जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना।

विषयांतर्गत लेख है कि पंचायत पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने एवं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिए निम्नानुसार पंचायत पुरस्कार योजना लागू की जा रही है।

क्र	निर्विरोध निर्वाचन प्रोत्साहन
1	ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पुरस्कार राशि रूपये 5.00 लाख
2	सरपंच पद हेतु वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर पुरस्कार राशि रूपये 7.00 लाख
3	ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पुरस्कार राशि रूपये 7.00 लाख
4	ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुए हैं। पुरस्कार राशि रूपये 12.00 लाख
5	पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुए हैं। पुरस्कार राशि रूपये 15.00 लाख

वित्तीय प्रावधान

इस योजना में आने वाले व्यय लेखा शीर्ष (मांग संख्या - 74, मुख्य शीर्ष - 2515 उपशीर्ष - 196/197/198 योजना क्रमांक - 8391- त्रि-स्तरीय पुरस्कार (आयोजनेतर) उद्देश्य शीर्ष - 42, वितरण शीर्ष - 009) से विकलनीय होगा।

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली पंचायतों के लिये पुरस्कार योजना

विकास एक सतत प्रक्रिया है। पंचायतों के सर्वांगीण विकास के मापदण्ड तय किये गये हैं। इन विकास लक्ष्यों की पूर्ति करने वाली पंचायतों को 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिये जायेंगे।

महिला एवं बाल हितैषी पंचायत -

- महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की गतिविधियों को प्रोत्साहन।

ARND:letter

उप सचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

- बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सभी संसाधनों से युक्त ऑनगनवाडियाँ।
- कुपोषण से मुक्ति।
- बेटियों और महिलाओं के कल्याण के लिए बनायी गयी योजनाओं का लाभ दिलाना।

जल परिपूर्ण पंचायत -

- जल जीवन मिशन का अधिकतम उपयोग।
- जनभागीदारी से जल संरक्षण और संवर्द्धन।
- अमृत सरोवरों का निर्माण।

स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित पंचायत -

- शत-प्रतिशत घरों में शौचालय की उपलब्धता।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु संचालित योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन।
- पंचायतों को उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का अधिकतम उपयोग।
- पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के उपायों पर कार्य।
- टीकाकरण।
- निषमिit स्वास्थ्य परीक्षण।
- बीमारियों की रोकथाम।
- नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी उपाय।
- आयुष्मान भारत योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को।

आर्थिक रूप से आत्म निर्भर पंचायत -

- नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कराधान की मजबूत व्यवस्था।
- जन सहयोग और कर संग्रहण से ग्रामीणों को सुविधा और सेवा प्रदान करना।
- स्व-सहायता समूहों का कौशल उन्नयन एवं बैंक लिंकेज।
- मनरेगा अंतर्गत स्थायी आजीविका।
- हर पात्र परिवार को आवास, राशन, गैस आदि की सुविधा।

प्रत्येक वर्ग के लिए 3 पुरस्कार प्रदान किया जायेगा -

- प्रथम पुरस्कार - रुपये 50.00 लाख
- द्वितीय पुरस्कार - रुपये 25.00 लाख
- तृतीय पुरस्कार - रुपये 15.00 लाख

वित्तीय प्रावधान

पुरस्कार की राशि 5वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना अंतर्गत शीर्ष 9611 के अंतर्गत विकसनीय होगी।

पुरस्कार राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों में किया जा सकेगा।

उपरोक्त श्रेणी के पुरस्कारों संबंधी प्रोत्साहित किये जाने के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जावे।

(उमाकांत कुमार)

ग्राम पंचायत सचिव

मध्य प्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/पंचा.राज./एफ-1-/पंचायत/2022/२३३/भोपाल, दिनांक २६/०५/२०२२

3

प्रतिलिपि :-

1. सभागायुक्त, संभाग - समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनाया।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग


उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश